न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 34/2017

रणवीर सिहं पुत्र किशन सिहं जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी।
–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
–रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय दिनांक 30.05.2017 बअदालत नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रणवीर सिहं मु0न0 01/2017 अ0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति :–
1. श्री योगेन्द्र शर्मा – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट – राजकीय अधिवक्ता की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांक. 17.11.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 30.05.2017 उनवानी सरकार बनाम रणवीर सिहं मु.न. 01/2017 अ.धा. 91 राज. भू–राज. अधि. 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि :– पटवारी हल्का छापोली ने संवत 2074 में नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि मौजा ग्राम छापोली में खसरा नम्बर 146 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 में से 40 वर्ग मीटर पर रणवीर सिहं पुत्र किशन सिहं जाति राजपूत निवासी छापोली ने स्वंय की खातेदारी भूमि पर बिना रूपान्तरण करवाये पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध अदालत मातहत द्वारा धारा 90–अ सपठित धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया। अदालत मातहत ने प्रार्थी के जबाब नोटिस पर गौर नहीं किया तथा ना ही प्रार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने को अवसर दिया तथा प्रार्थी को मनमर्जी से अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का निर्णय दिनांक 30.05.2017 पारित कर दिया जो कानून विरूद्ध है। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है तथा ना ही प्रार्थी का कृत्य धारा 90–अ भू राजस्व अधिनियम के प्रावधनों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। हल्का पटवारी ने राजनैतिक द्वैषता व शिकायतबाजी के आधार पर निराधार रिपोर्ट पेश की है तथा योग्य अदालत मातहत ने बिना किसी जांच के उक्त निराधार रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 146 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कृषी भूमि है तथा प्रार्थी उस पर खेती करता है तथा फसल पैदा करता है। उक्त फसल से अपने परिवार का पालन–पोषण करता है तथा चारे से पशु पालन करता है। प्रार्थी पशु रखता है, प्रार्थी अपने पशुओं के चारे को रखने, कृषि उपकरणों को रखने तथा अपनी भूमि पर पैदा हुई

फसल को प्राकृतिक आपदाओंसे संरक्षित करने के लिए उस पैदावार को रखने के लिए एक मकान की आवश्यकता थी। इसलिए केवल कृषि कार्यो हेतु प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि में एक मकाना बनाया तथा उस पर एक अस्थायी टिनशैड लगया है। प्रार्थी ने उक्त मकान का किसी भी प्रकार से व्यवसायिक उपयोग नही कर रहा है, ना ही कभी किया है। कानूनन भी काश्तकार कृषि संबंधित कार्यो के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि बिना रूपान्तरण करवाये निर्माण कर सकता है। परन्तु हल्का पटवारी ने जान बुझकर मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त मकान को अपनी रिपोर्ट में दुकान अंकित कर गलत रिपोर्ट पेश की है। अदालत मातहत ने उक्त गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 30.05.2017 निरस्त किये जाने का आदेश फरवायें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव कथन किया कि प्रार्थी ने किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है तथा ना ही प्रार्थी का कृत्य धारा 90–अ भू राजस्व अधिनियम के प्रावधनों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। हल्का पटवारी ने राजनैतिक द्वैषता व शिकायतबाजी के आधार पर निराधार रिपोर्ट पेश की है तथा योग्य अदालत मातहत ने बिना किसी जांच के उक्त निराधार रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 146 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कृषी भूमि है तथा प्रार्थी उस पर खेती करता है तथा फसल पैदा करता है। उक्त फसल से अपने परिवार का पालन–पोषण करता है तथा चारे से पशु पालन करता है। प्रार्थी पशु रखता है, प्रार्थी अपने पशुओं के चारे को रखने, कृषि उपकरणों को रखने तथा अपनी भूमि पर पैदा हुई फसल को प्राकृतिक आपदाओंसे संरक्षित करने के लिए उस पैदावार को रखने के लिए एक मकान की आवश्यकता थी। इसलिए केवल कृषि कार्यो हेतु प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि में एक मकाना बनाया तथा उस पर एक अस्थायी टिनशैड लगया है। प्रार्थी ने उक्त मकान का किसी भी प्रकार से व्यवसायिक उपयोग नही कर रहा है, ना ही कभी किया है। कानूनन भी काश्तकार कृषि संबंधित कार्यो के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि बिना रूपान्तरण करवाये निर्माण कर सकता है। परन्तु हल्का पटवारी ने जान बुझकर मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त मकान को अपनी रिपोर्ट में दुकान अंकित कर गलत रिपोर्ट पेश की है। अदालत मातहत ने उक्त गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी अपीलान्ट द्वारा ग्राम छापोली के भूमि ख0न0 146 रकबा 0.42 है0 किस्म बारानी–2 में से रकबा 40 वर्गमीटर भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाये पक्की दुकान बनाकर अवैध निर्माण किया है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–अ के तहत विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 30.05.2017 को अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उसकी खातेदारी भूमि है जिस पर वह काश्त करता है तथा पशुओं के लिए चारा एवं रहने के लिए मकान बाड़ा आदि बनाकर वह अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। अपीलांट ने कोई दुकान का निर्माण नहीं किया है। एक खातेदार अपनी भूमि के 1/50 वें हिस्से पर अपने पशुओं के लिए चारा एवं रहने की व्यवस्था कर सकता है। हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को परेशान करने के लिए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपने पशुओं के चारे को रखने, कृषि उपकरणों को रखने तथा अपनी भूमि पर पैदा हुई फसल को प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षित करने के लिए उस पैदावार को रखने के लिए एक मकान की आवश्यकता थी। इसलिए केवल कृषि कार्यो हेतु प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि में एक मकाना बनाया तथा उस पर एक अस्थायी टिनशैड लगया है। प्रार्थी ने उक्त मकान का किसी भी प्रकार से व्यवसायिक उपयोग नही कर रहा है, ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 को खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे स्वयं वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण कर, पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा अलग से टकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 34/2017

रणवीर सिहं पुत्र किशन सिहं जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी।
–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
–रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय दिनांक 30.05.2017 बअदालत नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रणवीर सिहं मु0न0 01/2017 अ0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति :–
1. श्री योगेन्द्र शर्मा – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट – राजकीय अधिवक्ता की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांक. 17.11.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 30.05.2017 उनवानी सरकार बनाम रणवीर सिहं मु.न. 01/2017 अ.धा. 91 राज. भू–राज. अधि. 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि :– पटवारी हल्का छापोली ने संवत 2074 में नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि मौजा ग्राम छापोली में खसरा नम्बर 146 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 में से 40 वर्ग मीटर पर रणवीर सिहं पुत्र किशन सिहं जाति राजपूत निवासी छापोली ने स्वंय की खातेदारी भूमि पर बिना रूपान्तरण करवाये पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध अदालत मातहत द्वारा धारा 90–अ सपठित धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया। अदालत मातहत ने प्रार्थी के जबाब नोटिस पर गौर नहीं किया तथा ना ही प्रार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने को अवसर दिया तथा प्रार्थी को मनमर्जी से अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का निर्णय दिनांक 30.05.2017 पारित कर दिया जो कानून विरूद्ध है। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है तथा ना ही प्रार्थी का कृत्य धारा 90–अ भू राजस्व अधिनियम के प्रावधनों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। हल्का पटवारी ने राजनैतिक द्वैषता व शिकायतबाजी के आधार पर निराधार रिपोर्ट पेश की है तथा योग्य अदालत मातहत ने बिना किसी जांच के उक्त निराधार रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 146 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कृषी भूमि है तथा प्रार्थी उस पर खेती करता है तथा फसल पैदा करता है। उक्त फसल से अपने परिवार का पालन–पोषण करता है तथा चारे से पशु पालन करता है। प्रार्थी पशु रखता है, प्रार्थी अपने पशुओं के चारे को रखने, कृषि उपकरणों को रखने तथा अपनी भूमि पर पैदा हुई